



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-29-04-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त सुमित कुमार को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चौक में पंजीकृत मु0अ0सं0- 38/2022 धारा- 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी मंनं0- 159/12 बहादुर सैय्यद बाबा की मजार निकट बड़ी मस्जिद थाना कैण्ट वाराणसी को थाना चौक पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 29-04-2024 को मा0 न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त सुमित कुमार उपरोक्त को धारा-379 व 411 भादवि में जेल में बिताई गयी अवधि व 01-01 हजार रुपये (02 हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 10-10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी